कार्यालय –सचिव औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश,मोहान रोड लखनऊ।

पत्रांक– सी 694/औ0प्रा0शि0प0/कोर्स नाम परिवर्तन/2019–20 दिनांक– 02 मई 2019

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
टी.ए.सी. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाये उ0प्र0

विषयः–समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में संचालित दो वर्षीय टेलरिंग एण्ड एलाइड क्राफ्ट कोर्स के स्थान पर एक वर्षीय फैशन टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

दिनांक–20.04.2019 को परिषद कार्यालय में अधोहस्ताक्षरी एवं परिषद के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में विभागीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ हुयी बैठक में संस्थाओं के समक्ष उपस्थित कतिपय समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में उपस्थित अधिकांश संस्था प्रतिनिधियों ने, संस्थाओं में संचालित दो वर्षीय टेलरिंग एण्ड एलाइड क्राफ्ट कोर्स (प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8) के स्थान पर एन.सी.वी.टी. द्वारा संचालित एक वर्षीय फैशन टेक्नोलाजी (प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 उत्तीर्ण 10+2 पद्धति के आधार पर अथवा समकक्ष) संचालित कराये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में आप अपना स्पष्ट मन्तव्य अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में पंजीकृत पत्र अथवा ईमेल आईडी itecuplko@gmail.com पर विलम्बतम दिनांक–10.05.2019 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(पी0के0 मिश्र)
सचिव